न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 101(ए)/2016

उनवान

राजेन्द्र बनाम राजकुमार वगै0

जेन्द्र आयु 47 वर्ष पुत्र स्व. श्योचन्द जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–वादी

बनाम

राजकुमार पुत्र स्व. रामदेवाराम उर्फ रामदेवा जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

. भालाराम पुत्र स्व. रामदेवाराम उर्फ रामदेवा जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

. विजेन्द्र पुत्र स्व. रामदेवाराम उर्फ रामदेवा जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

. श्रीमती सन्तोष आयु 31 वर्ष पुत्री स्व. रामदेवाराम उर्फ रामदेवा जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

. जगदेवा आयु 52 वर्ष पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

. मनफुल पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. **श्री बाबूलाल मील – वादी की ओर सें**
2. **श्री श्रवण सैनी – राज्य सरकार की ओर से।**

दावा बाबत घोषणार्थ एवं विभाजन

निर्णय

दिनांक :– 10.08.2021

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निम्न वर्णित जमीन सरहद राजस्व ग्राम इण्डाली तहत तहसील झुन्झुनूं में स्थित है। गत खसरा नं. 154 तादारी 17 बीघा 10 विश्वा। उक्त जमीन के दौरान पैमाईश हाल खसरा नं. निम्न प्रकार बनेः– हाल ख.नं. 1107 क्षेत्रफल 0.82 हैक्टर व हाल ख.नं. 1108 क्षेत्रफल 3.60 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.42 हैक्टर है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 वादी के निकट परिवार के सदस्य है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 की पैत्रिक अचल सम्पति है। उक्त जमीन का बंटवारा सन् 1955 से पूर्व से ही हो गया था तथा उक्तानुसार ही मौखिक पारिवारिक

धारा के मुताबिक ही वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 के पिता रामदेवा एवं उसका
ई जमनाराम तथा प्रतिवादी नं. 5 का पिता शोभाराम काश्त करते थे। मौखिक रूप से आपसी
ुलियत से जमीन गत ख.नं. 154 तादादी 17 बीघा 10 विश्वा में पश्चिमी हिस्सा की 6 बीघा
विश्वा जमीन प्रतिवादी नं. 1 से 4 का पिता रामदेवा तथा जमनाराम काश्त करते थे तथा
बीघा 19 विश्वा उत्तर पूर्व हिस्से की प्रतिवादी नं. 5 का पिता शोभाराम काश्त करता था।
ीन गत ख.नं. 154 की दक्षिण पूर्व हिस्से की 3 बीघा 12 विश्वा पुख्ता जमीन वादी काश्त
रता है। वादी एवं उसके भाई मनफुल ने जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र बाबत न्यायालय
खण्ड अधिकारी झुन्झुनूं में एक दावा बाबत घोषणा एवं बंटवारा का उनवानी मनफुल वगैर
ाम जमनाराम वगैर मु.नं. 170/1991 पेश किया जो दिनांक 28.06.1995 को अन्तिम रूप से
र्णित किया गया जिसमें वादी व मनफुल को विवादित जमीन में से दक्षिण पूर्व हिस्से की 3
घा 12 विश्वा पुख्ता का खातेदार घोषित किया गया। वादी ग्रामीण परिवेश का अशिक्षित व
ला व्यक्ति है। वादी ने धारा 3 वाद पत्र में वर्णित अनुसार मुकदमा में फैसला होने के बाद
कील के कहने पर सोचा कि हमारे हक में फैसला हो गया है, अब राज उसके नाम 3 बीघा
2 विश्वा जमीन दर्ज कर देगा तथा प्रतिवादीगण एवं वादी के मध्य कभी जमीन जैर बहस के
ब्जा काश्त को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ इस कारण वादी ने कभी भी राजस्व रिकॉर्ड के
रे में जानकारी नहीं ली। इस कारण जमीन जैर बहस का राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से
हले शोभाराम व जमनाराम एवं रामदेवा के हक में व प्रतिवादी नं. 5 के नाम गलत रूप से
र्ज चता रहा। वादी को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण निर्णय दिनांक 28.06.1995
को अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं करवा सका। प्रतिवादीगण नं. 1 से 5 माह जनवरी 2011 से
ादी से नाराज रहते है। प्रतिवादीगण नं. 1 से 5 वादी से नाराजगी के कारण आपस में मिले
ुये है। वादी की विवादित जमीन में से 3 बीघा 12 विश्वा पुख्ता जमीन हड़पने के लिये
तिवादी नं. 1 से 4 ने अदालत हाजा में दावा उनवानी भालाराम बनाम जगदेवाराम मु.न.
30/2011 पेशकर दिनांक 01.07.2011 को अदालत हाजा से डिक्री करवा लिया। उक्त निर्णय
व डिक्री के मुताबिक प्रतिवादी नं. 1 से 4 जमीन जैर बहस में से 1/2 हक हिस्सा की जमीन
दर्ज करवा ली तथा 1/2 हक हिस्सा की जमीन प्रतिवादी नं. 5 ने गलत रूप से अपने नाम
करवा ली जबकि प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 को दावा में वादी को भी पक्षकार बनाना चाहिये था
तथा वादी के नाम 3 बीघा 12 विश्वा यानि 0.91 हैक्टर जमीन मानकर दावा पेश करना
चाहिये था तथा वादी को उक्त 0.91 हैक्टर जमीन के बाद जो शेष 2.69 हैक्टर जमीन शेष
बचती उसमें से 1/2 जमीन प्रतिवादी नं. 1 से 4 की है तथा 1/2 जमीन प्रतिवादी नं. 5
जगदेवाराम की है एवं इसी मुताबिक प्रतिवादी नं. 1 से 4 को पूर्व दावा संख्या 30/2011 में
हक हिस्सा मानकर वाद पत्र पेश करना चाहिये था। लेकिन प्रतिवादीगण ने आपस में मिलकर
दावा संख्या 30/2011 में जो निर्णय व डिक्री जारी करवाई है वह गलत होने से वादी के
हक हकुक के विरूद्ध नल एण्ड वोइण्ड होने से वादी पाबन्द नहीं है तथा उक्त गलत निर्णय
व डिक्री के आधार पर प्रतिवादीगण के हक में जो राजस्व रिकॉर्ड बना है वह भी गलत होने
से उससे भी वादी पाबन्द नहीं है। मु.नं. 170/1991 में पारित निर्णय 28.06.1995 के मुताबिक
गत खसरा नं. 154 में से 3 बीघा 12 विश्वा पुख्ता के संयुक्त रूप से खातेदार वादी व उसके
भाई मनफुल को घोषित किया है। उक्त 3 बीघा 12 विश्वा का मैट्रिक प्रणाली के मुताबिक
क्षेत्रफल 0.91 हैक्टर बनता है। वादी एवं उसके भाई मनफुल के मध्य आपसी पारिवारिक
समझौता के मुताबिक विवादित जमीन की 0.91 हैक्टर सम्पूर्ण जमीन वादी के हिस्सा में आई
तथा इसके बदले में मनफुल को जमीन हाल ख.नं. 1032, 1033, 1034 में 1/3 हक हिस्सा
की 0.8633 हैक्टर जमीन वादी ने क्रय करके विक्रय पत्र उक्त मनफुल के नाम बनवा दिया।
इस कारण विवादित जमीन में मनफुल का काई हक हिस्सा नहीं है। विवादित जमीन में से 6

उक्त जमनाराम का करीब 19 विश्वा जमीन जमनाराम एवं उसके भाई रामदेवा की थी। उक्त जमनाराम के हक हिस्सा की जमीन र्ष पूर्व अविवाहित रहते देहान्त होने के कारण उक्त जमनाराम के हक हिस्सा की जमीन के भाई रामदेवा को मिली। इस कारण रामदेवा विवादित जमीन में से 6 बीघा 19 विश्वा खातेदार हुआ जिसके देहान्त होने के बाद उक्त रामदेवा के हक हिस्सा की जमीन राधिकार में प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 को मिली एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त है व रहे उक्त 6 बीघा 19 विश्वा पुख्ता जमीन का मैट्रिक प्रणाली के मुताबिक रकबा लगभग 1.76 टर बनता है। विवादित जमीन में से 6 बीघा 19 विश्वा पुख्ता जमीन प्रतिवादी नं. 5 के ा शोभाराम की थी जिसके देहान्त होने के बाद उसके हक हिस्सा व कब्जा काश्त की 6 ा 14 विश्वा जमीन उत्तराधिकार में प्रतिवादी नं. 5 को मिली। प्रतिवादीगण द्वारा मु.न. /2011 में पारित निर्णय की पालना होने के बाद पटवारी हल्का ने वादी को कहा कि ादित सम्पूर्ण जमीन प्रतिवादीगण नं. 1 से 5 के नाम दर्ज हो गई। इस पर वादी ने जमीन र बहस के सम्पूर्ण कागजात एकत्रित कर व निर्णय डिक्री दिनांकित 01.07.2011 की नकल त कर प्रतिवादीगण नं. 1 से 5 को उसके हक हिस्सा की 3 बीघा 12 विश्वा जमीन का जस्व रिकॉर्ड उसके नाम करवाने बाबत कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण ने कहा कि कुछ नों बाद करवा देंगे लेकिन दिनांक 14.06.2016 को प्रतिवादीगण ने जमीन जैर बहस में से 3 घा 12 विश्वा पुख्ता जमीन वादी के नाम दर्ज करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया इसलिये जूदा वाद पत्र अदालत हाजा में वादी को अपने हकुक की रक्षार्थ पेश करना आवश्यक आ। दावा हाजा के लिये वाद कारण दिनांक 14.06.2016 को तब पैदा जब प्रतिवादीगण ने ादी के नाम उसके हक हिस्सा की 0.91 हैक्टर जमीन दर्ज करवाने से स्पष्ट इन्कार किया ब अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। इस दावा को सुनने का हक अदालत हाजा को है। दावा विभाजन की रिलिफ होने के कारण भूमिधारी को पक्षकार बनाया है। अतः दावा नय शपथ पत्र एवं डुप्लीकेट प्रति के पेशकर निवेदन किया कि वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन हाल ख.नं. 1107 रकबा 0.82 हैक्टर, ख.नं. 1108 रकबा 3.60 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम इण्डाली तहत तहसील झुन्झुनूं में से वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 को निम्न प्रकार टीनेन्ट घोषित किया जावे:— वादी राजेन्द्र को — 0.91 हैक्टर का, प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 को — संयुक्त रूप से 1.76 हैक्टर के व प्रतिवादी नं. 5 को 1.75 हैक्टर का (ख) जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य धारा 14(क) वाद पत्र में वर्णित हक हिस्सा के मुताबिक विधिवत विभाजन बाबत प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे तथा बाद विभाजन रिपोर्ट अन्तिम डिक्री पारित की जाकर जमीन जैर बहस का विधिवत विभाजन किया जावे तथा लगान अलग अलग कायम किया जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की तामिल सम्यक रूप से हो जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व लिखित बहस वादी पर बगौर मनन किया गया। वादी एवं उसके भाई मनफुल ने जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र बाबत न्यायालय हाजा में एक दावा बाबत घोषणा एवं बंटवारा का उनवानी मनफुल वगै0 बनाम जमनाराम वगै0 मु.नं. 170/1991 पेश किया जो दिनांक 28.06.1995 को अंतिम रूप से डिक्री जिसमें वादी व उसके भाई को विवादित जमीन में से दक्षिण पूर्व हिस्से की 3 बीघा 12 विश्वा पुख्ता भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जिसके मुताबिक क्षेत्रफल हाल ख.नं. 1107, 1108 कुल रकबा 4.42 हैक्टर बनता है जिसमें वादी व उसका भाई मनफुल को 0.91 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना स्पष्ट है। यह भूमि 0.91 हैक्टर सम्पूर्ण जमीन वादी के हिस्से में आई हैं इसके बदले में मनफुल को जमीन हाल ख.नं. 1032, 1033, 1034 में 1/3 हक हिस्सा की 0.8633 हैक्टर जमीन वादी ने क्रय करके विक्रय पत्र उक्त मनफुल के नाम बनवा दिया है। इस प्रकार यह भूमि ख.नं. 1107, 1108 रकबा 4.42 हैक्टर में से 0.91

र भूमि वादी राजेन्द्र के हक हिस्सा की होना वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर
ब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार व प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 की ओर से प्रस्तुत
व दावा से स्पष्ट है व इसी विवादित भूमि बाबत दावा सं. 30/2011 उनवानी भालाराम
बनाम जगदेवाराम का न्यायालय हाजा में पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक
07.2011 को वाद वादीगण डिक्री किया है। वादी को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं तथा
मान दावा के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उक्त दावा में वादीगण थे तथा प्रतिवादी संख्या
व 7 प्रतिवादी थे। इस प्रकार वादी के हक हिस्से पर निर्णय व डिक्री दिनांक
07.2011 बेअसर व शून्य नल एंड वॉइड है जिसमें वादी पाबन्द नहीं है क्योंकि किसी भी
कार का पैत्रिक सम्पति से हक हिस्सा समाप्त नहीं किया जा सकता है। व गैर कानून
देश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। वादी के कब्जा काश्त बाबत रिपोर्ट तहसीलदार
झुनू से प्राप्त की गई। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/2091 दिनांक
.07.2021 से रिपोर्ट पेश की, जिसमें खसरा नम्बर 1107 में वादी राजेन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति
ाट निवासी इंडाली का आवासीय मकान, कुआं है तथा फसल है। खसरा नम्बर 1108 में
कान है व फसल है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि ख.नं. 1107, 1108 में वादी का
ब्जा काश्त होना स्पष्ट है। उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा दावा सं.
70/1991 उनवानी मनफुल वगै0 बनाम जमनाराम वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक
8.06.1995 की रोशनी में वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः—

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि गत भूमि ख.नं. 154 रकबा 17 बीघा 10 विश्वा के खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.82 है0 व 1108 रकबा 3.60 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.42 है0 में से 3 बीघा 12 विश्वा अर्थात मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 0.91 हैक्टर वाके ग्राम इण्डाली में वादी श्री राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्योचन्द को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त खसरा नम्बरान के रिकार्ड को दुरूस्त करते हुये वादी के हक में रकबा 0.91 हैक्टर का अमल दरामद कर पालना करें। शेष रकबा जमाबंदी बदस्तुर रखा जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.08.2021 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू